रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022021-225318
CG-DL-E-20022021-225318

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 720] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942
No. 720] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

का.आ. 788(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1910 (अ), तारीख 31 मई, 2019, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 31 मई, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय में विचार किया गया था;

और, सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व 1411.6094 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 3.20399 वर्ग किलोमीटर का वन आबादी क्षेत्र भी सम्मिलित है और तमिलनाडु राज्य में इरोड जिले के सथ्यामंगलम तालुक/तहसील में स्थित है;

और, सथ्यामंगलम वन संभाग का गठन 22 अगस्त, 1980 को किया गया था, जी.ओ. एमएस. सं. 999 वन और मत्स्य पालन विभाग तारीख 6 मई, 1980 को सथ्यामंगलम और इरोड संभागों में तत्कालीन कोयम्बटूर उत्तर संभाग को विभाजित किया गया है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की धारा 26(ए) के अधीन जी.ओ. एमएस. सं. 122

पर्यावरण और वन (एफआर V) विभाग तारीख 03 नवंबर, 2008 को संभाग के दक्षिणी भाग 524.34 वर्ग किलोमीटर आच्छादित क्षेत्र को सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व घोषित किया गया और तत्पश्चात् जी.ओ. एमएस. सं. 93 पर्यावरण और वन (एफआर V) विभाग तारीख 11 अगस्त, 2011 को 887.26 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को सथ्यामंगलम वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ा गया, जो कि 1411.60 वर्ग किलोमीटर का विस्तार कुल क्षेत्रफल बनाता है। जी.ओ. एमएस. सं. 41 पर्यावरण और वन, एफआर 5 विभाग तारीख 15 मार्च, 2013 के अनुसार सथ्यामंगलम वन्यजीव अभयारण्य में रिज़र्व वन 1408.405 वर्ग किलोमीटर का विस्तार कोर के रूप में 793.49331 वर्ग किलोमीटर और बफर क्षेत्र के रूप में 614.91210 वर्ग किलोमीटर के साथ सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व घोषित किया गया है, जबकि वन व्यवस्था क्षेत्र 3.20399 वर्ग किलोमीटर जोड़ा गया, जो कि 1411.60 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल बनाता है;

और, सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व जलवायु परिस्थितियों के व्यापक रेंज के कारण पर्यावासों के विषमरूप मोज़ेक जैसे समतल भूमि पर झाड़ीदार और तटीय वन, ढलानों और पहाड़ी पठार पर पर्णपाती और मिश्रित पर्णपाती, पहाड़ियों पर उच्च उन्नताश सावना और पहाड़ी ढलानों के बीच अर्ध सदाबहार पैच से समृद्ध है। सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के मुख्य वनस्पति में ऑस्ट्रेलियाई मवेशी (*अकाकिया औरिकुलिफोरमिथ्स),* वेल्वेलाम (*अकाकिया लोयकोफलोइया),* वगाई (*एल्बिजिया लेब्बेक*), मुंडिरी *(एनाकार्डियम ओक्सिडेंटाले*), पल्ली ईची (*एंटिडेस्सामा मेनासु*), पाला (*जैक फ्रूटी*) *(आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस),* मलाई एंथी (*बाउहिनिया मालाबारिका*), कुमांचम (*बोस्वेल्लिया सेर्राटा),* वेट्टीलाई-पट्टाई (*कल्लीकारपा टोमेंटोसा),* कोन्डाराई (*कस्सिया फिस्तुला),* सावयक्कु *(कसुअरिना इक्यूइसेटिफोलिया),* पंचु मुल किलुवई (*कॉम्मिफोरा बेर्यि),* रेलपोन्दु *(क्रोटन ओबॉन्गिफोलियस)*, मायिरकोनराई (*डेलोनिक्स रेगिया),* तुम्बिका (*डायोस्पायरस मालाबारिका),* करीप्पालाई (*ड्रायपेट्स रॉक्सबर्गी),* मुलुमुरूक्कु (*एरीथ्रीना सुबेरोसा),* काल्ली (*इयफोरबिया निवुलिया),* कल्लाल (*फिकुसा डरूपाकेया),* सावुक्कुमाराम (*ग्रेविल्लेया रोबुस्टा),* परपतागम (*हेदयोटिसा कोरयम्बोसा),* वेंडाई (*कीडिया कैलीसीना),* केम्बावयु *(मेलिओस्मा सिम्पलिकिफोलिया),* नुना (*मोरिंडा कोरेइया),* अराली (*नेरियम इंडिकम),* कोलारमावय (*पेरसेया माचरांथा),* काल्लिमांडाराई (*पलुमेरिया रूबरा),* वाइंगाई (*पटेराकार्पस मारसुपियम*), निर नोचि (*सालिक्स टेटरास्पेरमा),* पुवाम (*स्चेलेइचेरो ओलेओसा),* सोम्बुपाट्टाइ *(सोयमिदा फेबरिफुगा),* अम्बु (*स्टेरेओस्पेरमुम कोलाइस),* सोन्नापट्टी (*टेकोमा स्टैंस*), कडुक्काई (*टर्मिनलिया चेबुला),* अम्पारूथी मेना (*टरेमा ओरेइंटालिस),* निरनोची *(विटेक्स ल्यूकोक्सिलोन),* आदि हैं;

और, सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के मुख्य जीवजन्तु में बोन्नेट मकाक्यू (*मकाका राडिअटे),* सामान्य और हनुमान लंगूर (*सेम्नोपिथेकुस इंटेल्लुस),* सलेंडेर लोरिस (*लोरिस टरडिग्राडुस),* बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), तेंदुआ बिल्ली (*फेलिस बेंगालेंसिस),* फिशहिंग कैट (*फेलिस विवेर्रिना),* जंगली बिल्ली (*फेलिस चाउस),* छोटा भारतीय सीवेट (*विवेर्रीकुला इंडिया),* सामान्य पाल्म सीवेट और टोडुय बिल्ली (*पाराडोक्सूस हेरमाफरोडिटस),* सामान्य नेवला (*हेरपेस्टेस इडवारडसि),* स्ट्रिपे नेक्केड नेवला (*हेरपेस्टेस विट्टीकोल्लिस),* स्मोथ कोअटेड ओट्टेर *(लुतरा पेरस्पिकिल्लाटा),* चित्तीदार लकड़बग्घा (*हैना हैना*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), जंगली कुत्ता और धोले (*कुओन अलपिनुस डुखुनेंसिस),* रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), मालाबार जएंट गिलहरी (*रतुफा इंडिका),* श्री स्ट्रीपेड गिलहरी (*फुनाम्बुलुस पाल्मबुलुस),* फिल्ड माउस *(मुस बोडुगा),* भारतीय बुश रात (*गोलुंडा इल्लीओट्टी),* सामान्य हाउस रात (रट्टुस रट्टुस*),* बांडीकोट रात (*बंडिकोटा इंडिका),* हाउस माउस (*मुस मुस्कुलुस),* भारतीय साही (*हिस्ट्रीक्स इंडिका),* ब्लैक नेपड खरगोश (*लेपुस निगरिकोल्लिस निगरिकोल्लिस),* एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सीमूस*), गौर (*बोस गौरस*), फोर नोरनेड अंटेलोपे और चोवसिंघा *(टेटराकेरूस क्यूडरिकोर्निस),* काला हिरण (*एंटिलोपे केरविकापरा),* सांभर (*केरवुस यूनीक्लोर*), चीतल और स्पोट्टेड हिरण (*एक्सिस एक्सिस),* मुनतजक और मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), भारतीय चेवरोतैन और माउस-हिरण (*तरागुलुस मेमिन्ना),* बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), साल (*मानिस क्रैसिकाउडाटा*), आदि पाए जाते हैं;

और, सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व से मुख्य पक्षियों में लिटिल ग्रेबे (*टैचिबैप्टस रूफिसोलिस*), पर्पल बगुला *(अरदेया पुरपुररेया),* ग्लॉसी इबिस (*पलेगादिस फलकिनेल्लुस),* ब्लैक काइट *(मिल्वस माइग्रेंस),* लेस्सेर केस्टरेल (*फाल्को नौमानी),* यल्लो लेग्गेड बटन बटेर (*तुरनिक्स तनकी),* मार्श सैंडपिपेर (*ट्रिंगा स्टैग्नैटिलिस),* स्पोट्टेड कबूतर (*सपिलोपेलिया चिनेंसिस),*

रोज रिंगेड पैराकैट (*पसिट्टाकुला करामेरी),* छोटा ग्रीन बिल्लड मालकोहा (*फाइनिकोफाइउस टरिस्टिस),* ब्लू बेअरडेड बैअटेर (*नायकटयोरनिस अथेरटोनी),* वाइट चैक्केड बारबेट *(पसिलोपोगोन विरिडिस),* हार्ट स्पोटेड वुडस्पाइकर (*हेमिसर्कस कैंसेंटे*), फॉरेस्ट वैगेटेल (*डेंड्रोनथस इंडिकस),* स्कारलेट मिनिवेट (*पेरिक्रोकोटस स्पेकिओसुस),* यूरेशियन ब्लैकबर्ड (*तुरडस मेरूला),* जंगली बाब्बलेर (*तुरडोडेस स्ट्राटा),* बूटेडवारब्लेर (*लदुना कलिगाटा),* वेरडिटेर ब्लू फ्लाईकैचर (*इयमयिअस थालास्सिनस),* वेलवेट फरोंटेड नुथाटच (*सिट्टा फरोंटालिस),* लिट्टले स्पिडेर हुंटेर (*अराचनोथेरा लोंगिरोस्ट्रा),* ब्राह्मणी स्ट्रारलिंग (*स्तुरनिया पागोडारूम),* वाइट बेल्लीड ड्रोंगो (*डिकरूरूस कैइरूलेस्केंस),* आदि अभिलिखित की गई हैं; जबकि बाघ रिज़र्व से तितली, कीड़े-मकोड़े, सरीसृप तवनय कोस्टेर (*अकराइया विओलाइ),* ग्लास्सी ब्लू बाघ (*पारांटिका अगलेया),* रूस्टिक (*कुफा इरयमांथिस),* सामान्य सैलेर (*नेपटिस हायलास),* सामान्य लास्कार (*पंटोपोरिया होरडोनिया),* ग्रे पांस्य (*जुनोनिया अटलिटेस),* सामान्य फाइव-रिंग *(यप्थिमा बालदुस),* लिमे ब्लू (*चिलादेस लाजुस),* सामान्य सिलवेरलिने (*सपिंदासिस वलुकानुस),* बंदर पुज्जेल (*रथिंडा अमौर),* ब्लू मोरमोन (*पापिलिओ पोलयम्नेस्टोर),* सामान्य गुल्ल *(केपोरा नेरिस्सा),* वाइट ओरंजे टीप (*लक्इस मारिअन्ने),* क्रिम्सोन टीप (*कोलोटीस डानेया),* ग्रेअट ऑरेंज टिप (*हेबोमिया ग्लिओसीपे*), पेंटब्रश स्विफ्ट (*बोरिस फैरी*), इंडियन *स्किप्पेर* (*स्पिअलिया गलबा),* रीके स्विफ्ट (*बोरबो चिन्नारा),* आदि अभिलिखित किए गए हैं;

और, इसके बड़े समीपवर्ती वन और निकटवर्ती वन क्षेत्रों से जुड़ाव के कारण, सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व में दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) प्रजातियों की बहुतायत है जैसे धारीदार लकड़बग्घा *(हाइना हाइना),* सियार (*कैनिस ऑरियस*), वाइट बैक्केड गिद्ध (*गयपस अफरिकानुस),*गयपस (*गयपस इंडिकस*),बाघ (*पेन्थेरा टीगरिस),* तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्यूस*), हाथी (*एलिफस मैक्सीमूस*), भारतीय गौर (*बोस गौरस*), काला हिरण (*एंटिलोपे केरविकापरा),* फोर होरनेड एंटेलोप (*टेटराकेरूस क्यूडरिकोर्निस),* चित्तीदार लकड़बग्घा (*हैना हैना*), रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), मुग्गेर मगरमच्छ (*क्रोकोडायल पेलिस्त्रिस),* वाइट बेक्केड गिद्ध (*गयपे अफरिकनुस),* रूस्ट्री-स्पोट्टेड बिल्ली (*परिओनाइलुरूस रूबिगिनोसुस)* आदि हैं। जबकि सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व में दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) पौधों की प्रजातियां कडुक्काई (*टरमिनालिया चेबुला),* कुनगिलियाम (*बोस्वेल्लिया सेर्राटा),* इंथा पनाई *(कयकस किरकिनालिस),* पेरू माल्लि (*लसोनांड्रा विल्लोसा),* पोरासु (*चलोराक्यलोन स्विटेनिया),* करयप्टोकारया (*करयपटोकरया बेड्डोमेइ),* करयप्टोकरया (*करयपटोकारया स्टोककसि),* इंथाई पनाई (*कयकस क्रिकिनालिस),* ईट्टी (*डालबेरगिया लतिफोलिया)* पाए जाते हैं;

और, सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व में कई स्थानिक प्रजातियां हैं जिसमें सैमाई वेलवेल (*अकाकिया फेरूगिनेया*), चोक्काला (*अगलाइया इलाइगनोआडिया*), कसुक्कोटी (*अलयसिकार्पुस मोनिलिफेर*), चालिंदी वेरू चेडी (*अनिसोचिलुस स्काबेर*), चित्तीदार लकड़बग्घा (*हैना हैना*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), होनेय बडगेर (*मेल्लिवोरा कापेंसिस*), रूस्ट्री-स्पोट्टेड बिल्ली (*परिओनाइलुरूस रूबिगिनोसुस*), तेंदुआ बिल्ली (*परिओनाइलुरूस बेंगालेंसिस*), आदि सम्मिलित हैं;

और, सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व एक तरफ मोयार घाटी से होते हुए मुदुमलाई बाघ रिज़र्व, बांदीपुर बाघ रिज़र्व और नीलगिरि उत्तर वन संभाग से बाघों की जनसंख्या को रोकने के लिए उच्च संकटपूर्ण वास है और इसी तरह हस्सनूर श्रेणी के साथ अन्य तरफ बांदीपुर बाघ रिज़र्व और कोल्लेगल वन संभाग जोड़ता है। यह बाघ रिज़र्व दो मुख्य भू-दृश्य अर्थात् पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच सेतु का कार्य करता है जो बाघ के लिए बृहत् क्षेत्र सुनिश्चित करता है और इस प्रकार मेटा जनसंख्या के बीच जीन के आदान-प्रदान के माध्यम से दीर्घकालिक संरक्षण उपाय को बढ़ाता है;

और, सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की

धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में इरोड जिले के सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.0 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 209.4634 वर्ग किलोमीटर है। बाघ रिज़र्व की विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:

दिशाएं	*विस्तार*
उत्तर	0 किलोमीटर
उत्तर-पूर्व	1 किलोमीटर
पूर्व	1 किलोमीटर
दक्षिण-पूर्व	1 किलोमीटर
दक्षिण	1 किलोमीटर
दक्षिण-पश्चिम	0 किलोमीटर
पश्चिम	0 किलोमीटर
उत्तर-पश्चिम	1 किलोमीटर
एन्क्लेव ग्राम	0.200 किलोमीटर

IndiaCode

राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के शून्य विस्तार को उचित ठहराया गया है कि "उत्तर-पूर्व बिंदु टी21 से उत्तर बिंदु टी6 और उत्तर पश्चिम बिंदु टी1 में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य किलोमीटर विस्तार प्रस्तावित किया गया है जो कि कर्नाटक के साथ अंतर-राज्यीय सीमा को समाप्त करता है। पश्चिम भाग बिंदु टी58 से दक्षिण पश्चिम बिंदु टी51 और दक्षिण बिंदु टी47 पर शून्य किलोमीटर प्रस्तावित किया गया है, यह कर्नाटक राज्य के बांदीपुर बाघ रिज़र्व और तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में मुदुमलाई बाघ रिज़र्व के बफर ज़ोन में समाप्त होती है।"

(2) सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग, उपाबंध-IIघ** और **उपाबंध-IIङ** के रूप में संलग्न है।

(4) सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) भूविज्ञान और खनन; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस

अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

IndiaCode

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधि सूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. **(1)**	**क्रियाकलाप** **(2)**	**वर्णन** **(3)**
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर

		उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त ,2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल ,2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या

		पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाएगा कि गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन,	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।

	माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
24.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
29.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	इ. संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

40.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का गठन	पदनाम
(i)	जिला कलेक्टर, इरोड	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	जिला वन अधिकारी और उप निदेशक, हसनूर	सदस्य;
(iii)	जिला पर्यावरण इंजीनियर, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(iv)	सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य;
(v)	क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति	सदस्य;
(vi)	तमिलनाडु सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	एक विषय विशेषज्ञ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बारे में जानकार	सदस्य;
(viii)	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक	सदस्य;
(ix)	भूविज्ञान और खनन विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(x)	राजमार्ग विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(xi)	जिला वन अधिकारी और उप निदेशक, सथ्यामंगलम	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो **पैरा 4** के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविर्निष्ट प्रतिषिद्ध क्रिलाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय के आदेश, आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/13/2018-ईएसजेड]

डॉ .सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

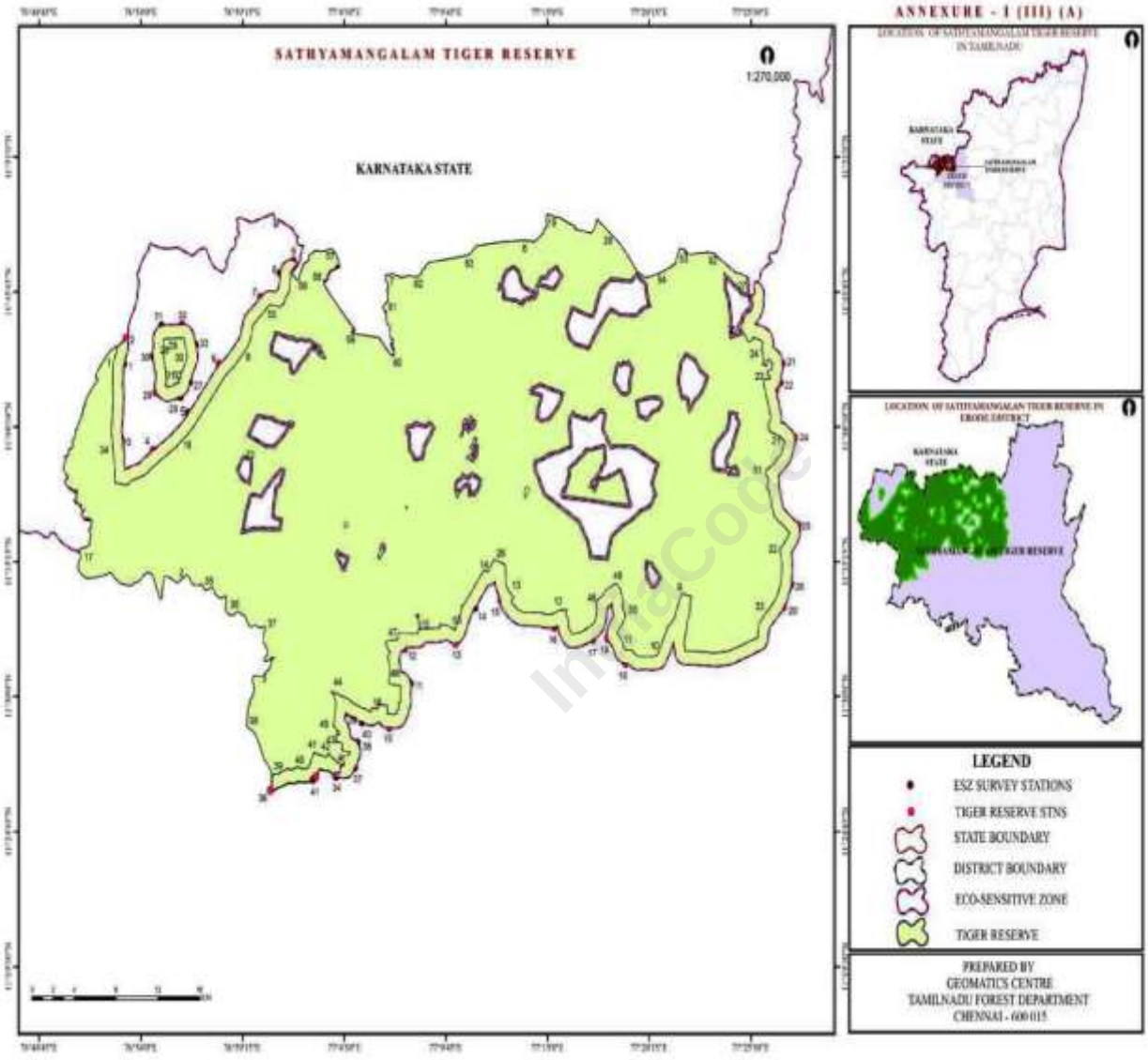
तमिलनाडु राज्य में सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	कर्नाटक राज्य के बी आर टी बाघ रिज़र्व, एम एम पहाड़ी वन्यजीव अभयारण्य।
उत्तर-पूर्व	इरोड वन संभाग का उत्तर बरगुर रिज़र्व वन।
पूर्व	इरोड संभाग का दक्षिण बरगुर रिज़र्व वन।
दक्षिण-पूर्व	टी.एन. पलयम खण्ड के कुछ ग्राम । (1 किलोमीटर)
दक्षिण	सथ्यामंगलम और भवानीसागर खण्ड के कुछ ग्राम।
दक्षिण-पश्चिम	मुदुमलाई बाघ रिज़र्व, नीलगिरि उत्तर वन संभाग और कोयम्बटूर वन संभाग के बफर जोन।
पश्चिम	कर्नाटक राज्य के बांदीपुर बाघ रिज़र्व।
उत्तर-पश्चिम	तलावाडी खण्ड के कुछ ग्राम।

IndiaCode

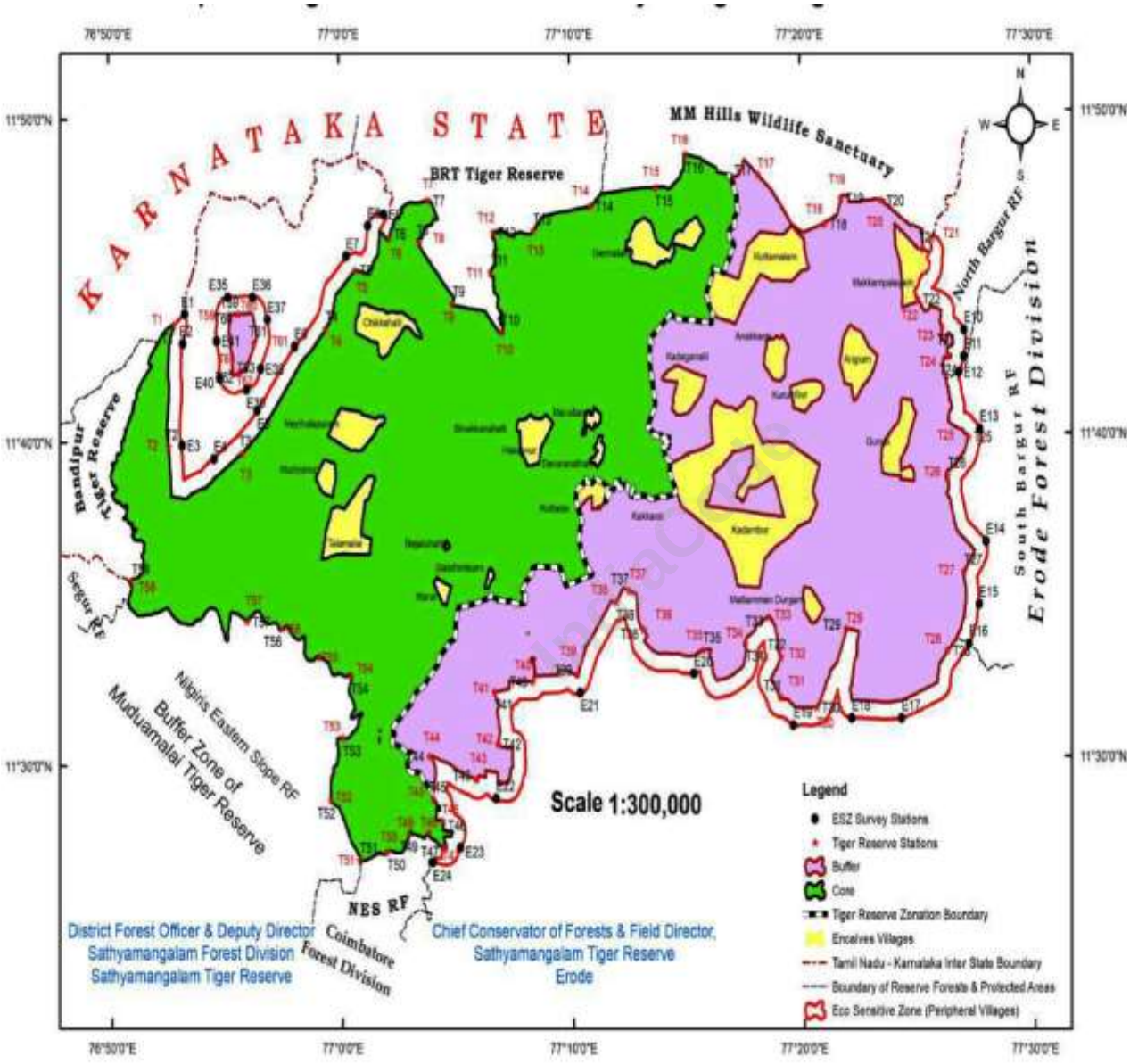
उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र



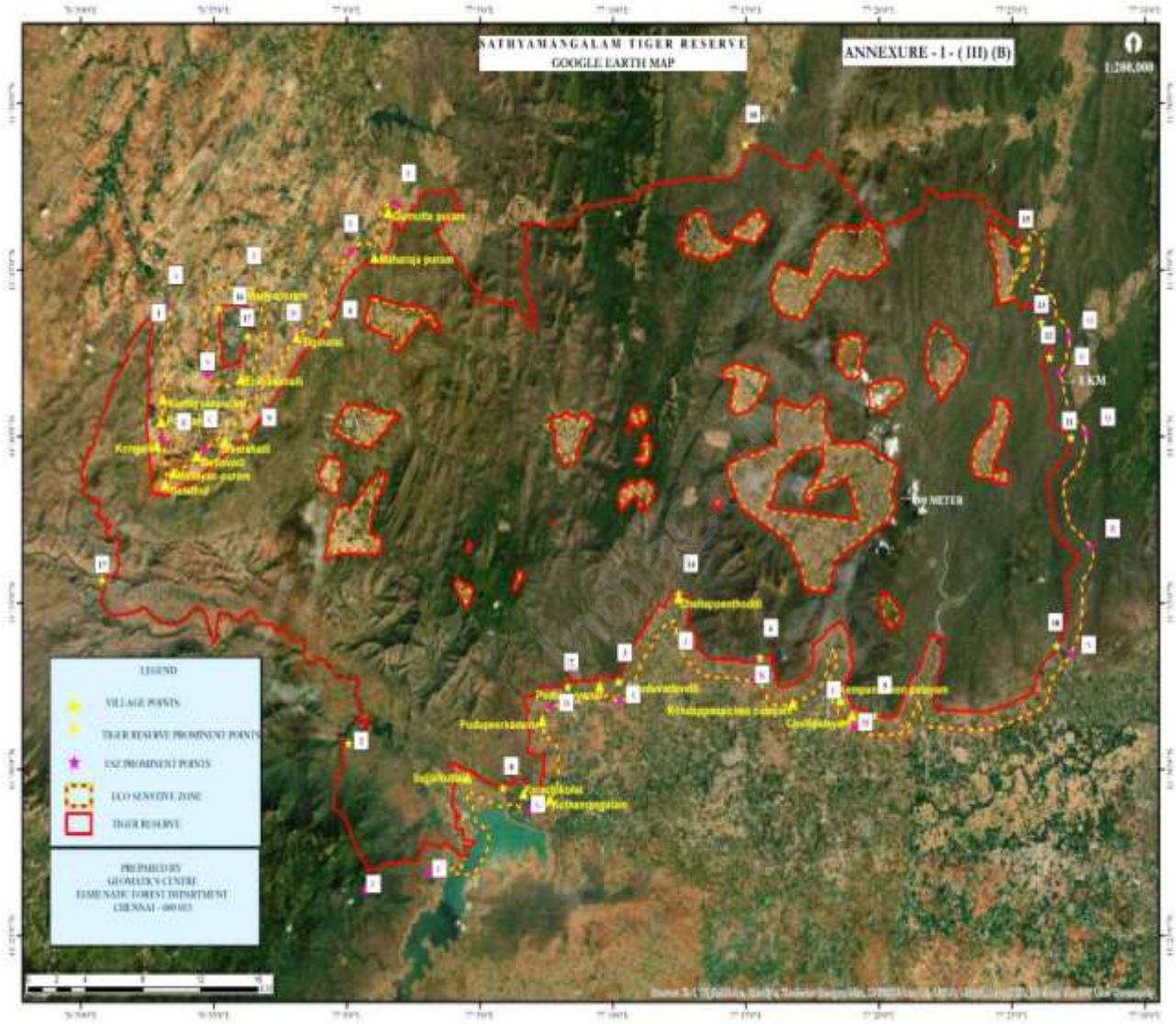
उपाबंध- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



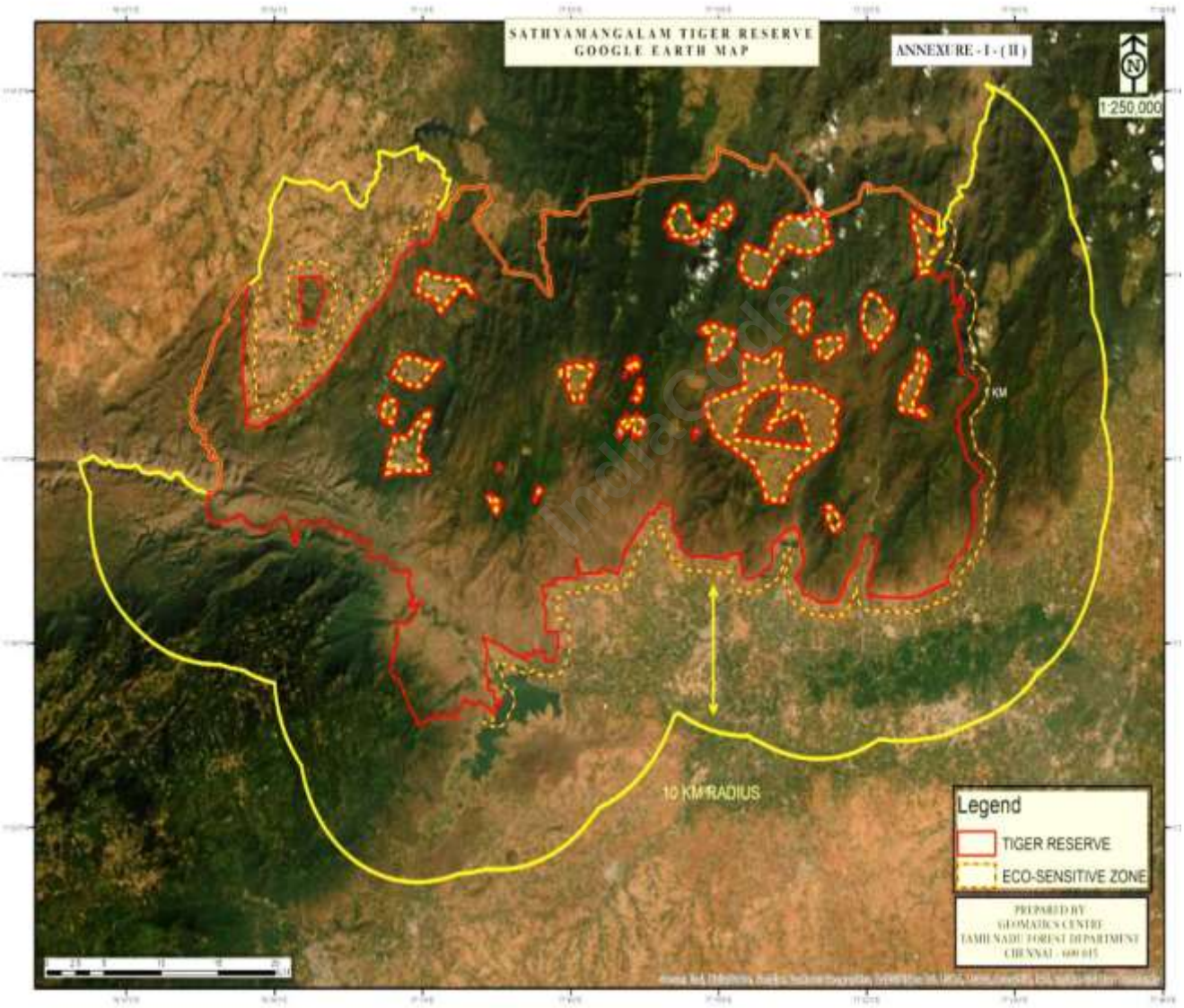
उपाबंध-IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



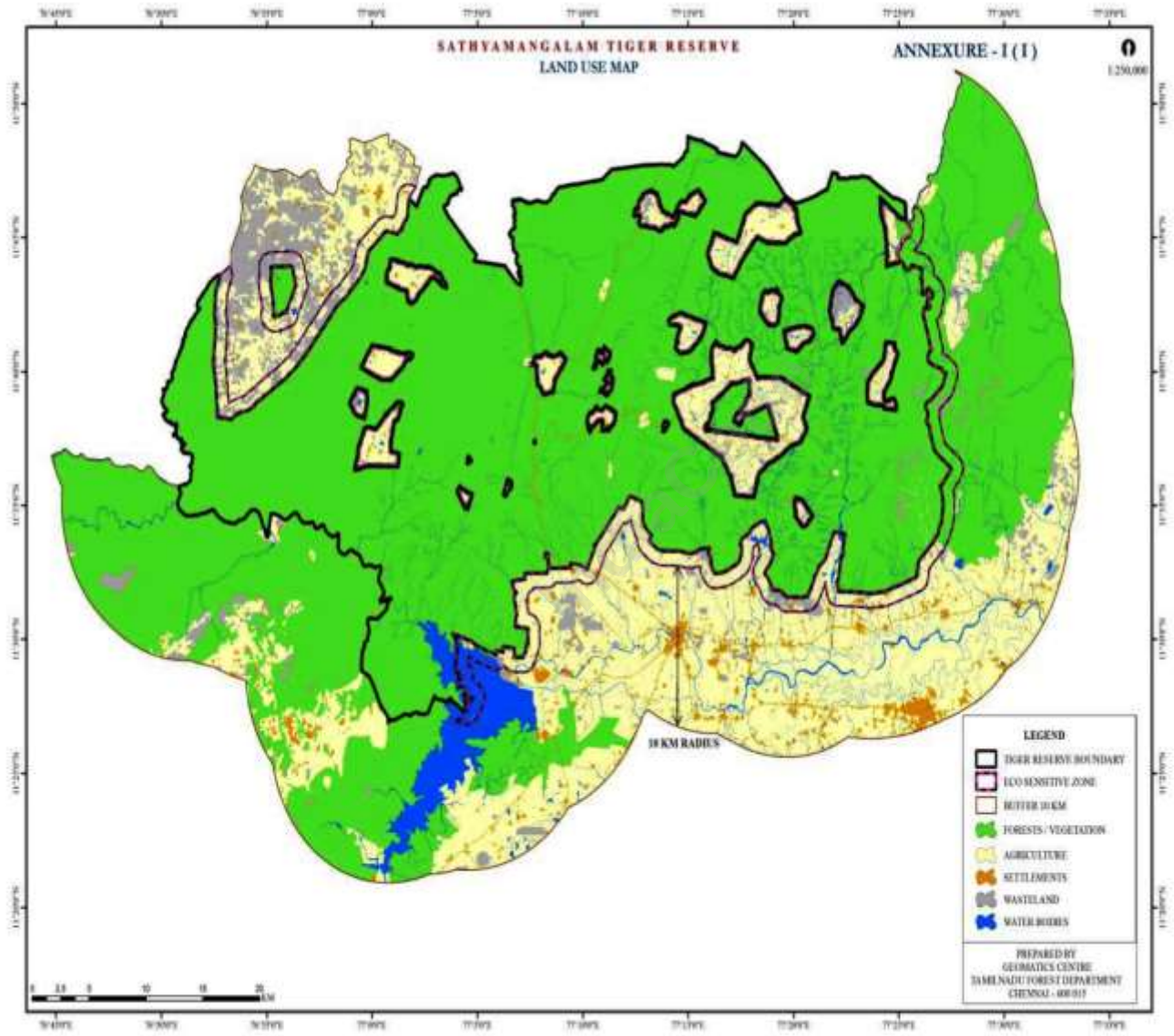
उपाबंध-IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ 10 किलोमीटर की दूरी को दर्शाते हुए सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



उपाबंध-II ङ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ 10 किलोमीटर की दूरी को दर्शाते हुए और सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि-उपयोग मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु की स्थिति/दिशा	अक्षांश (डीएमएस)	देशांतर (डीएमएस)
1	1	एट्टुकट्टु कोविल	11° 43' 56.7"	76° 53' 13.9"
2	2	कल्लाम्पालायम ग्राम	11° 30' 46.6"	77° 0 '42.5"
3	3	एन एच 209	11° 32' 37.3"	77° 10' 13.3"

4	4	पलार नदी	11° 42' 22.5"	77° 26' 25.4"
4	4	मेल्गुट्टीपुराम	11° 43' 23.0"	76° 59' 19.4"
5	5	कनाइ पल्लाम	11° 31' 36.6"	77° 20' 33.4"
6	6	पुलियानकोम्बाई	11° 33' 21.0"	77° 15' 32.2"
7	7	राजन नगर से बननारी सड़क	11° 32' 28.0"	77° 8 '18.3"
8	8	बइरा बैट्टा नहर बांध	11° 27' 24.7"	77° 4 '29.6"
9	9	मक्कामाल्लाप्पां पल्लाम	11° 40' 1.2"	76° 56' 12.0"
10	10	बाइलुर ग्राम सीमा	11° 48' 45.7"	77° 14' 59.3"
11	11	पट्टुमांजाई कुलाम	11° 39' 57.5"	77° 27' 13.5"
13	13	मुलाम्पट्टी के पास पलार नदी	11° 43' 24.6"	77° 26' 6.6"
14	14	सेल्लापा दोद्दी	11° 35' 16.0"	77° 12' 29.0"
15	15	नाइक्काल बेट्टा	11° 45' 36"	77° 25' 35.2"
16	16	कुम्बाप्पान कोविल सीमा 1	11° 43' 50.2"	76° 55' 11.5"
17	17	बेला केरे	11° 43' 0.2"	76° 56' 17.1"
18	18	कोदनुर पल्लाम	11° 33' 20.8"	77° 26' 20.4"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु की स्थिति/दिशा	अक्षांश (डीएमएस)	देशांतर (डीएमएस)
1	ए	एट्टुकट्टु कोविल	11° 43' 37.7"	76° 52' 47.5"
2	बी	पलायम से कांगल्ली सड़क	11° 39' 56.1"	76° 53' 4.7"
3	सी	गेट्टावाडी से गुंदानापुरम सड़क	11° 39' 35.2"	76° 54' 38.0"
4	डी	टीगनाराई से नेयदालापुरम सड़क	11° 42' 56.6"	76° 58' 4.1"
5	ई	हीरियापुरम से तालावादय सड़क	11° 45' 32.7"	77° 16' 33.6"
6	एफ	गुमतपुरम तालाब	11° 46' 58.6"	77° 18' 58.3"
7	जी	भवानीसागर नहर	11° 28' 47.3"	77° 6 '50.1"
8	एच	पुदुपिरकादावु मंदिर	11° 31' 52.9"	77° 7 '39.8"
9	आई	पुदुवाम्पालयम मंदिर	11° 32' 4.1"	77° 10' 15.7"
10	जे	वरापलाई पल्लाम मंदिर	11° 33' 45.4"	77° 12' 35.2"
11	के	सतयामांगलाम से पुलियांकोम्बाई सड़क	11° 32' 41.9"	77° 15' 21.3"
12	एल	पेरूमपल्लाम	11° 32' 15.9"	77° 18' 6.4"
13	एम	वेल्लापराई पल्लाम	11° 31' 17.6"	77° 19' 3.0"
14	एन	मप्पिल्लाई कुंदु	11° 33' 29.5"	77° 27' 11.8"
15	ओ	मुलाम्पट्टी चिन्नापल्लाम	11° 42' 57.7"	77° 27' 9.0"
16	पी	नेल्ली कुट्टाई	11° 41' 54.6"	77° 26' 47.7"

IndiaCode

17	क्यू	पट्टुमांजकुलाम पल्लाम	11° 40' 6.2"	77° 27' 47.5"
18	आर	मदेस्वरान कोइल	11° 36' 41.8"	77° 27' 57.4"
19	एस	ततनूर जंक्शन	11° 41' 51.2"	76° 54' 47.2"
20	टी	मरलापुरम	11° 44' 29.3"	76° 56' 7.4"
21	यू	सुंदाकदु	11° 26' 53.3"	77° 30' 34.2"
22	वी	कोम्बरमालई फुट हिल्स	11° 26' 21.4"	77° 6 '53.6"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम	ग्राम का प्रकार *	तहसील/ तालुका	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस)	देशांतर (पू) (डीएमएस)
1	सुज्जालकुट्टाइ	राजस्व ग्राम	सथ्यामंगलम	इरोड	11° 29' 45.4"	77° 4' 32.1"
2	कराचीकोराई		सथ्यामंगलम		11° 29' 15.8"	77° 6' 38.3"
3	कोथामंगलम		सथ्यामंगलम		11° 29' 6.3"	77° 7' 37.4"
4	पुदुपैरकदवय		सथ्यामंगलम		11° 31' 27.4"	77° 7' 20.1"
5	पुदुकुय्यानुर		सथ्यामंगलम		11° 32' 30.2"	77° 9' 29.9"
6	पुदुवादावाल्लीइ		सथ्यामंगलम		11° 32' 27.7"	77° 1' 36.2"
7	चैल्लाप्पंथोड्डी		सथ्यामंगलम		11° 35' 9.5"	77° 1' 148.5"
8	कोंडाप्पानेकेन पलायम		सथ्यामंगलम		11° 31' 59.2"	77° 1' 405.4"
9	कम्पनीकन पलायम		सथ्यामंगलम		11° 32' 5.8"	77° 1' 513.2"
10	अराक्कन कोट्टाई ग्रराम्मम		गोबीचेट्टीपलायम		11° 52' 19.5"	77° 3' 367.6"
11	कोन्नोरपालायाम		गोबीचेट्टीपलायम		11° 52' 58.1"	77° 3' 300."
12	कोवयंदाम्पलायम		गोबीचेट्टीपलायम		11° 52' 47.2"	77° 3' 783.9"
13	वानीपुथु		गोबीचेट्टीपलायम		11° 52' 52.3"	77° 3' 857.1"
14	पुंजाइथुराई पलायम		गोबीचेट्टीपलायम		11° 52' 31.3"	77° 4' 025.2"
15	कोंदाईयान्पलायम		गोबीचेट्टीपलायम		11° 53' 04.6"	77° 4' 247.4"
16	कनाक्काम्पलायम		गोबीचेट्टीपलायम		11° 54' 38.8"	77° 4' 371.3"
17	चेल्लीपालायम		तालावडे		11° 31' 37.5"	77° 1' 538.8"
18	कमय्यांपुरम		तालावडे		11° 41' 7.9"	76° 5' 185.4"
19	पलायम		तालावडे		11° 40' 26.3"	76° 5' 181.4"
20	कोंगल्ली		तालावडे		11° 39' 43.0"	76° 5' 171.9"
21	बेलाथुर		तालावडे		11° 38' 33.4"	76° 5' 190.4"
22	माल्लायन-पुरम		तालावडे		11° 38' 55.2"	76° 5' 208.0"
23	गेट्टावाडी		तालावडे		11° 39' 24.7"	76° 5' 262.2"
24	जैराहाल्ली		तालावडे		11° 39' 49.2"	76° 5' 324.2"

IndiaCode

25	तिगिनाराई		तालावडे		11° 42' 58.9"	76° 5' 487.0"
26	महाराजा पुरम		तालावडे		11° 45' 22.0"	77° 1' 3.0"
27	गुमुट्टा पुरम		तालावडे		11° 46' 43.6"	77° 1' 34.0"
28	इराहानाहल्ली		तालावडे		11° 41' 43.7"	76° 5' 361.2"
29	मारीयापुरम		तालावडे		11° 44' 19.3"	76° 5' 361.8"

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान: पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2021

S.O.788(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1910 (E), dated the 31st May, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 31st May, 2019;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered in the Ministry;

AND WHEREAS, the Sathyamangalam Tiger Reserve is spread over an area of 1411.6094 square kilometres which also includes 3.20399 square kilometres of forest settlement area and is located in Sathyamangalam Taluk / Tehsil of Erode District in the state of Tamil Nadu;

AND WHEREAS, the Sathyamangalam Forest Division was formed on 22nd August, 1980 *vide* G.O. Ms. No. 999 Forests and Fisheries Department dated 06th May, 1980 bifurcate the erstwhile Coimbatore North Division into Sathyamangalam and Erode Divisions. The southern portion of the division covering an area of 524.34 square kilometres has been declared as Sathyamangalam Wildlife Sanctuary, *vide* G. O. Ms. No.122 Environment & Forest (FR V) department dated 03rd November, 2008 under section 26(A) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 and

subsequently an area of 887.26 square kilometres has been further added to Sathyamangalam Wildlife Sanctuary *vide* G.O. Ms. No. 93 Environment & Forest (FR V) department dated 11th August, 2011 making the total area to an extent of 1411.60 square kilometres. As per G.O. Ms. No. 41 E & F, FR 5 dept. dated 15th March, 2013 an extent of 1408.405 square kilometres of Reserved Forest in Sathyamangalam Wildlife Sanctuary has been declared as Sathyamangalam Tiger Reserve with 793.49331 square kilometres as core and 614.91210 square kilometres as buffer areas, while 3.20399 square kilometres added forest settlement area making the total area of 1411.60 square kilometres;

AND WHEREAS, the Sathyamangalam Tiger Reserve is richly endowed with heterogeneous mosaic of habitats such as scrub and riparian forests on the plains, deciduous and mixed deciduous on the slopes and hill plateau, high altitude savannah on the hills and semi evergreen patches between hill slopes, due to wide range of climatic conditions. The major flora of the Sathyamangalam Tiger Reserve are Australian wattle (*Acacia auriculiformits),* velvelam (*Acacia leucophloea),* vagai (*Albizia lebbeck),* mundiri (*Anacardium occidentale),* pali eechi (*Antidesma menasu),* palaa (jack fruit) (*Artocarpus heterophyllus),* malai athi (*Bauhinia malabarica),* kumancham (*Boswellia serrata),* vettilai-pattai (*Callicarpa tomentosa),* kondarai (*Cassia fistula),* savukku (*Casuarina equisetifolia),* pancu mul kiluvai (*Commiphora berryi),* railpoondu (*Croton oblongifolius),* mayirkonrai (*Delonix regia),* tumbika (*Diospyros malabarica),* karippalai (*Drypetes roxburghii),* mulumurukku (*Erythrina suberosa),* kalli (*Euphorbia nivulia),* kallal (*Ficus drupacea),* savukkumaram (*Grevillea robusta),* parpatagam (*Hedyotis corymbosa),* vendai (*Kydia calycina),* cembavu (*Meliosma simplicifolia),* nuna (*Morinda coreia),* arali (*Nerium indicum),* kolarmavu (*Persea macrantha),* kallimandarai (*Plumeria rubra),* vaengai, (*Pterocarpus marsupium),* nir nochi (*Salix tetrasperma),* puvam (*Schleichera oleosa),* sombupattai (*Soymida febrifuga),* ambu (*Stereospermum colais),* sonnapatti (*Tecoma stans),* kadukkai (*Terminalia chebula),* amparuthi, mena. (*Trema oreientalis),* nirnocchi (*Vitex leucoxylon),* etc;

AND WHEREAS, major fauna available in the Sathyamangalam Tiger Reserve are bonnet macaque (*Macaca radiate),* common or Hanuman langur (*Semnopithecus entellus),* slender loris (*Loris tardigradus),* tiger (*Panthera tigris),* leopard (*Panthera pardus),* leopard cat (*Felis bengalensis),* fishing cat (*Felis viverrina),* jungle cat (*Felis chaus),* small Indian civet (*Viverrricula india),* common palm civet or toddy cat (*Paradoxurus hermaphroditus),* common mongoose (*Herpestes edwardsi),* stripe necked mongoose (*Herpestes vitticollis),* smooth coated otter (*Lutra perspicillata),* striped hyena (*Hyaena hyaena),* jackal (*Canis aureus),* wild dog or dhole (*Cuon alpinus dukhunensis),* sloth bear (*Melursus ursinus),* Malabar giant squirrel (*Ratufa indica),* three striped palm squirrel (*Funambulus palmarum),* field mouse (*Mus boduga),* Indian bush rat (*Golunda elliotti),* common house rat (*Rattus rattus),* bandicoot rat (*Bandicota indica),* house mouse (*Mus musculus),* Indian porcupine (*Hysteris indica),* black naped hare (*Lepus nigricollis nigricollis),* Asian elephant (*Elephus maximus),* gaur (*Bos gaurus),* four horned antelope or chowsingha (*Tetracerus quadricornis),* blackbuck (*Antilope cervicapra),* sambar (*Cervus unicolor),* chital or spotted deer (*Axis axis),* muntjak or barking deer (*Muntiacus muntjak),* Indian chevrotain or mouse-deer (*Tragulus meminna),* wild boar (*Sus scrofa),* Indian pangolin (*Manis crassicaudata),* etc;

AND WHEREAS, major avifauna recorded from the Sathyamangalam Tiger Reserve are little grebe (*Tachybatus ruficollis),* purple heron (*Ardea purpurea),* glossy ibis (*Plegadis falcinellus),* black kite (*Milvus migrans),* lesser kestrel (*Falco naumanni),* yellow legged button quail (*Turnix tanki),* marsh sandpiper (*Tringa stagnatilis),* spotted dove (*Spilopelia chinensis),* rose ringed parakeet (*Psittacula krameri),* small green billed malkoha (*Phaenicophaeus tristis),* blue bearded beeeater (*Nyctyornis athertoni),* white checked barbet (*Psilopogon viridis),* heart spotted woodspecker (*Hemicircus canente),* forest wagtail (*Dendronanthus indicus),* scarlet minivet (*Pericrocotus speciosus),* Eurasian blackbird (*Turdus merula),* jungle babbler (*Turdoides striata),* bootedwarbler (*Iduna caligata),* verditer blue flycatcher (*Eumyias thalassinus),* velvet fronted nuthatch (*Sitta frontalis),* little spider hunter (*Arachnothera longirostra),* brahminy starling (*Sturnia pagodarum),* white bellied drongo (*Dicrurus caerulescens),* etc; while butterfly, insects, reptiles recorded from the Tiger Reserve are tawny coster (*Acraea violae),* glassy blue tiger (*Parantica aglea),* rustic (*Cupha erymanthis),* common sailer (*Neptis hylas),* common lascar (*Pantoporia hordonia),* grey pansy (*Junonia atlites),* common five-ring (*Ypthima baldus),* lime blue (*Chilades lajus),* common silverline (*Spindasis vlucanus),* monkey puzzle (*Rathinda amor),* blue mormon (*Papilio polymnestor),* common gull (*Cepora nerissa),* white orange tip (*Ixias marianne),* crimson tip (*Colotis danae),* great orange tip (*Hebomia glaucippe),* paintbrush swift (*Baoris farri),* Indian skipper (*Spialia galba),* rice swift (*Borbo chinnara),* etc;

AND WHEREAS, owing to its large contiguous forests and connectivity with adjoining forest areas, this Sathyamangalam Tiger Reserve has plethora of rare, endangered and threatened (RET) species such as striped hyena (*Hyaena hyaena),* jackal (*Canis aures),* white backed vulture (*Gyps africanus),* gyps (*Gyps indicus),* tiger (*Panthera tigris),* leopard (*Panthera pardus),* elephant (*Elephas maximus),* Indian gaur (*Boss gaurus),* black buck (*Antilope cervicapra),* four horned antelope (*Tetracerus quadricornis),* hyena (*Hyaena hyaena),* sloth bear (*Melursus ursinus),* mugger crocodile (*Crocodylus palustris),* white backed vulture (*Gype africanus),* rusty-spotted cat (*Prionailurus rubiginosus).* While rare, endangered and threatened (RET) species of plants available in the Sathyamangalam Tiger Reserve are kadukkai (*Terminalia chebula),* kungiliyam (*Boswellia Serrata),* entha panai (*Cycas circinalis),* peru malli (*Isonandra villosa),* porasu (*Chloroxylon swietenia),* cryptocarya (*Cryptocarya beddomei),* cryptocarya (*Cryptocarya stocksii),* enthai panai (*Cycas circinalis),* eetti (*Dalbergia latifolia);*

AND WHEREAS, the Sathyamangalam Tiger Reserve has numerous endemic species which includes seemai velvel (*Acacia ferruginea*), chokkala (*Aglaia elaeagnoidea*), kasukkoti (*Alysicarpus monilifer*), chalindi veru chedi (*Anisochilus scaber*), striped hyena (*Hyaena hyaena*), jackal (*Canis aures*), honey badger (*Mellivora capensis*), rusty-spotted cat (*Prionailurus rubiginosus*), leopard cat (*Prionailurus bengalensis*), etc;

AND WHEREAS, Sathyamangalam Tiger Reserve is highly critical to accommodate the spill over population of tigers from the Mudumalai Tiger Reserve, Bandipur Tiger Reserve and Nilgiri North Forest Division through Moyar valley on one hand and similarly Bandipur Tiger Reserve and Kollegal Forest Divisions connecting on the other side with Hassanur Range. This Tiger Reserve is acting as a bridge between the two major landscapes i. e. Western Ghats and Eastern Ghats which ensures a vast territory for Tiger and thus enhancing long term conservation measure through exchange of genes between meta populations;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Sathyamangalam Tiger Reserve which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 1.0 kilometres around the boundary of Sathyamangalam Tiger Reserve, in Erode District in the State of Tamil Nadu as the Sathyamangalam Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of the Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 1.0 kilometres around the boundary of Sathyamangalam Tiger Reserve and the area of the Eco-sensitive Zone is 209.4634 square kilometres. The extent of Eco-sensitive Zone at various different direction of the Tiger Reserve are given below:

IndiaCode

Directions	*Extents*
North	0 kilometre
North-East	1 kilometre
East	1 kilometre
South-East	1 kilometre
South	1 kilometre
South-West	0 kilometre
West	0 kilometre
North-West	1 kilometre
Enclave villages	0.200 kilometre

Zero extent of Eco-sensitive Zone was justified by State government as "Zero kilometre extent of Eco-sensitive Zone has been proposed in the north east point T21 to North point T6 and North West point T1 which abuts the inter-state boundary with Karnataka. On the West side point T58 to South West point T51 and South point T47 has been proposed as zero kilometre since, it abuts the Bandipur Tiger Reserve of Karnataka State and Buffer Zone of Mudumalai Tiger Reserve in Nilgiri District of Tamil Nadu.".

(2) The boundary description of Sathyamangalam Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**

(3) The maps of the Sathyamangalam Tiger Reserve demarcating the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IID** and **Annexure-IIE.**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Sathyamangalam Tiger Reserve and the Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Geology and Mining; and
(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

India Code

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

India Code

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:

indiacode

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Establishment of Solid waste disposal site.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Erode	Chairman, ex officio;
(ii)	District Forest Officer and Deputy Director, Hassanur	Member;
(iii)	District Environmental Engineer, Tamil Nadu Pollution Control Board	Member;
(iv)	Member, State Biodiversity Board	Member;
(v)	An Eminent person in the field	Member;
(vi)	Two Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Tamil Nadu	Member;
(vii)	A subject expert knowledgeable about the Eco-sensitive Zone	Member;
(viii)	Senior Town Planner of the area	Member;
(ix)	A representative from Department of Geology and Mining.	Member;
(x)	A representative from Department of Highways	Member;
(xi)	District Forest Officer and Deputy Director, Sathyamangalam	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/13/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

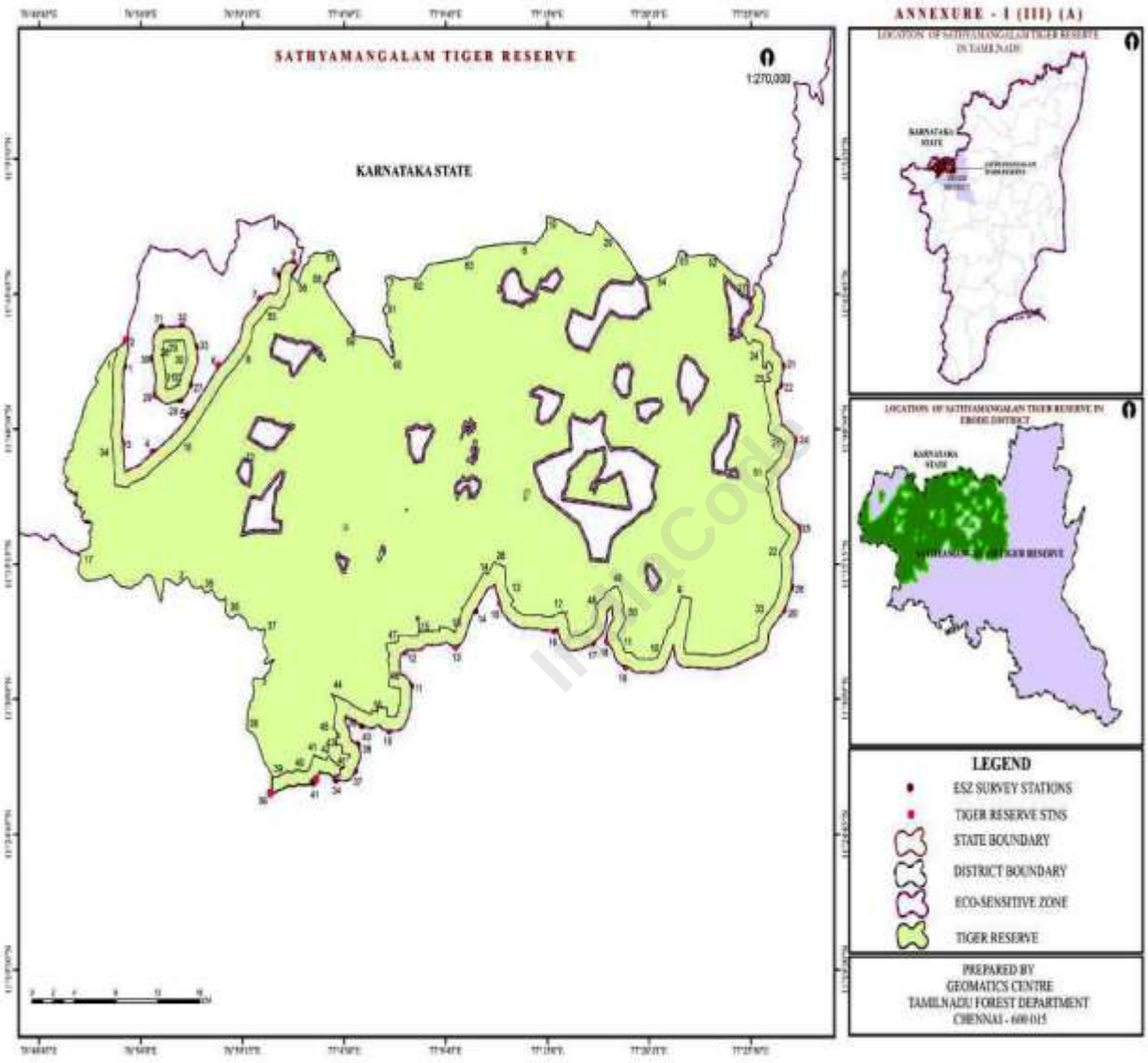
BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND SATHYAMANGALAM TIGER RESERVE IN THE STATE TAMIL NADU

North	BRT Tiger Reserve, MM Hills wildlife sanctuary of Karnataka State.
North-East	North Bargur RF of Erode Forest Division.
East	South Bargur RF of Erode Division.
South-East	Few villages of T.N. Palayam Block. (1 km)
South	Few villages of Sathyamangalam and Bhavanisagar Block.
South-West	Buffer zone of Mudumalai Tiger Reserve, Nilgiri North Forest Division and Coimbatore Forest Division.
West	Bandipur Tiger Reserve of Karnataka State.
North-West	Few villages of Talavady Block.

IndiaCode

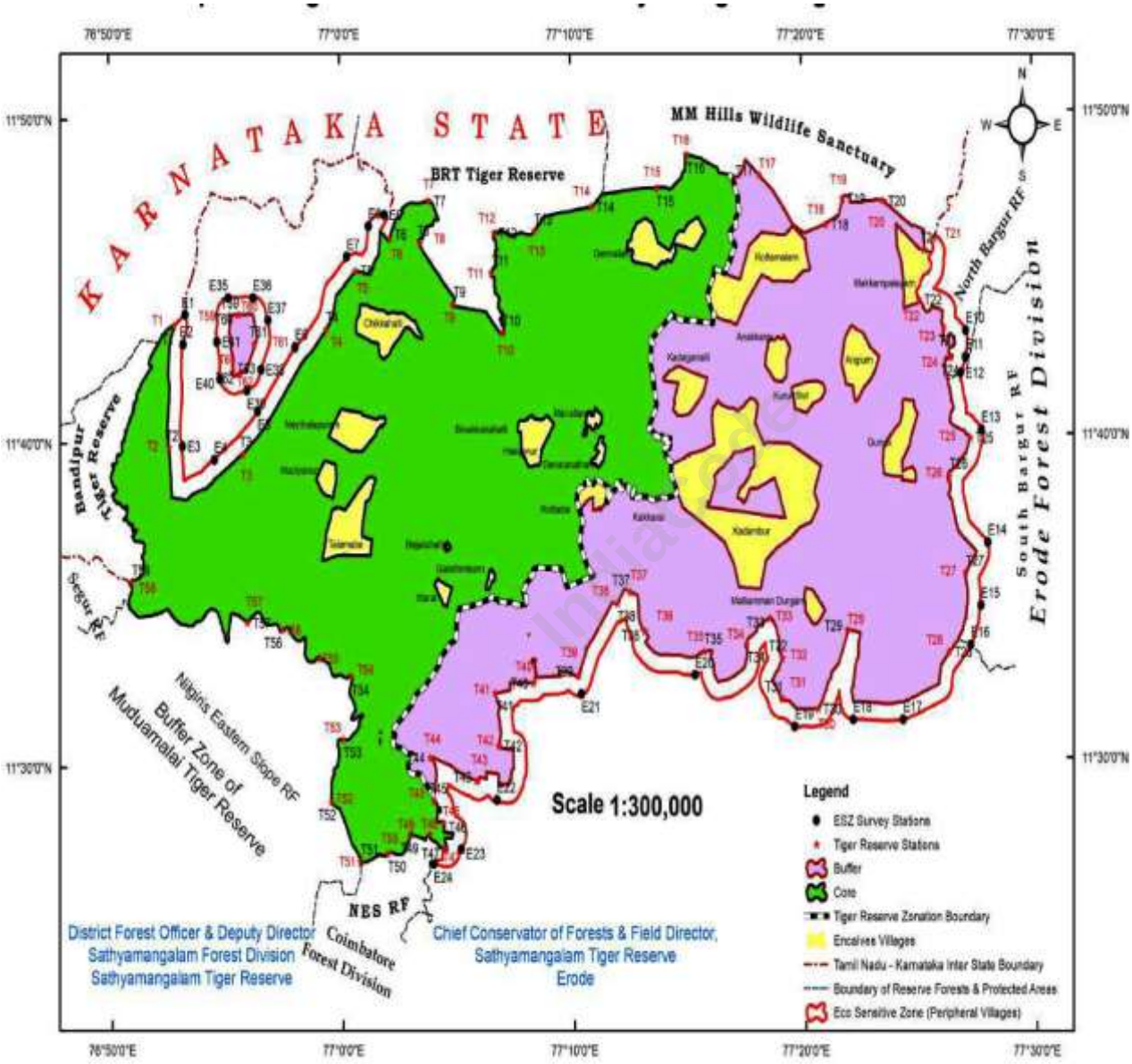
ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SATHYAMANGALAM TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



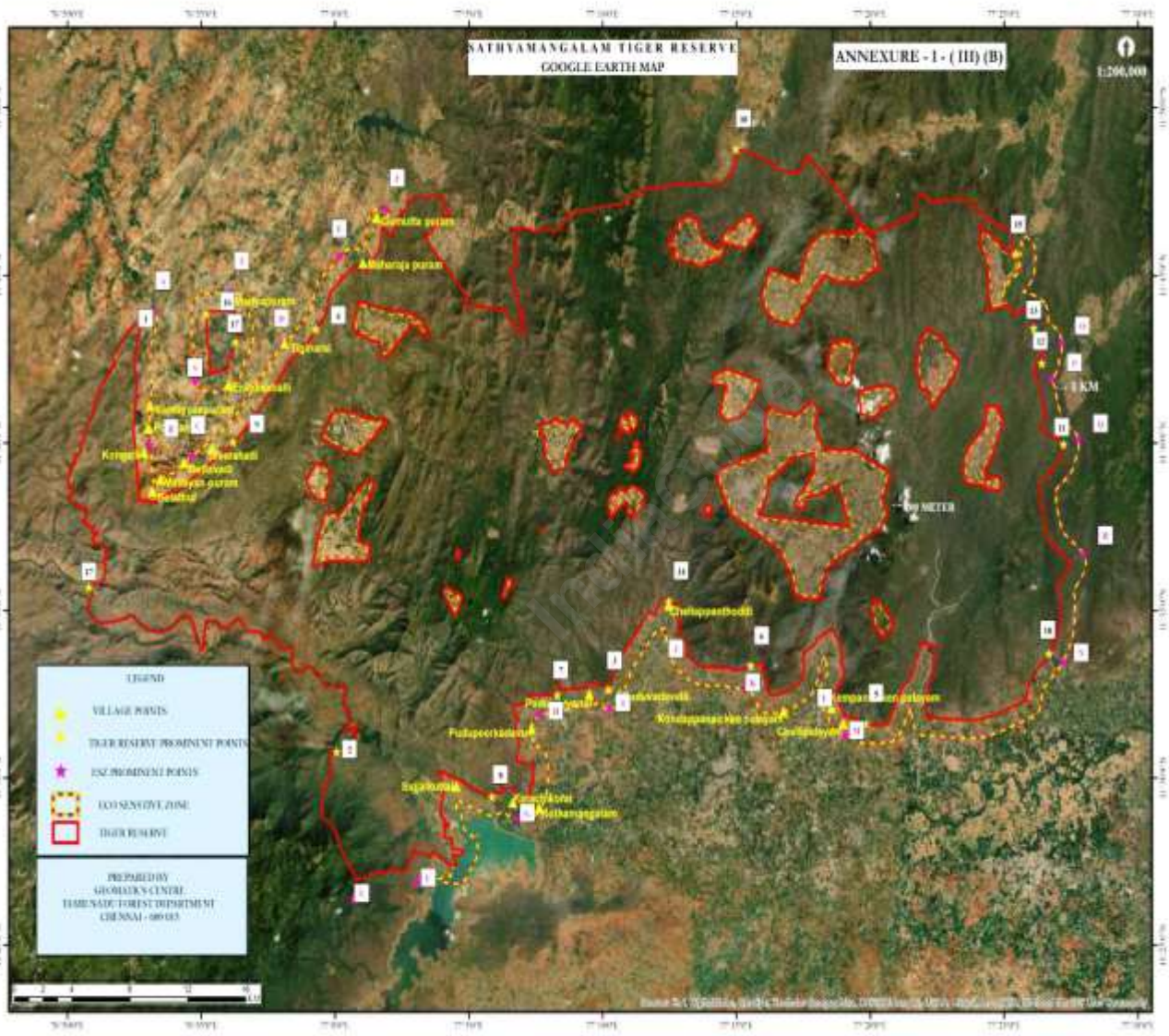
ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SATHYAMANGALAM TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



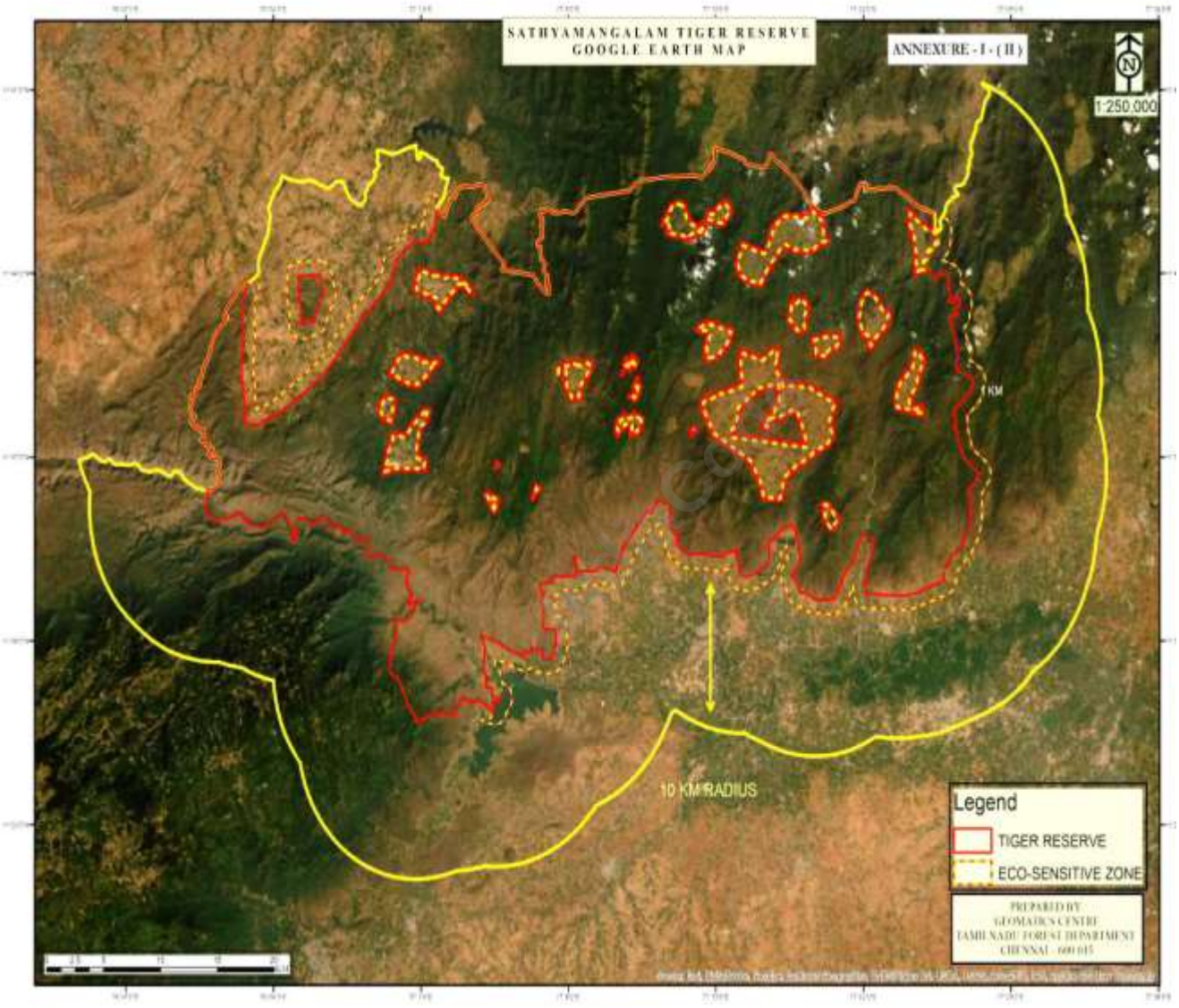
ANNEXURE- IIC

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SATHYAMANGALAM TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



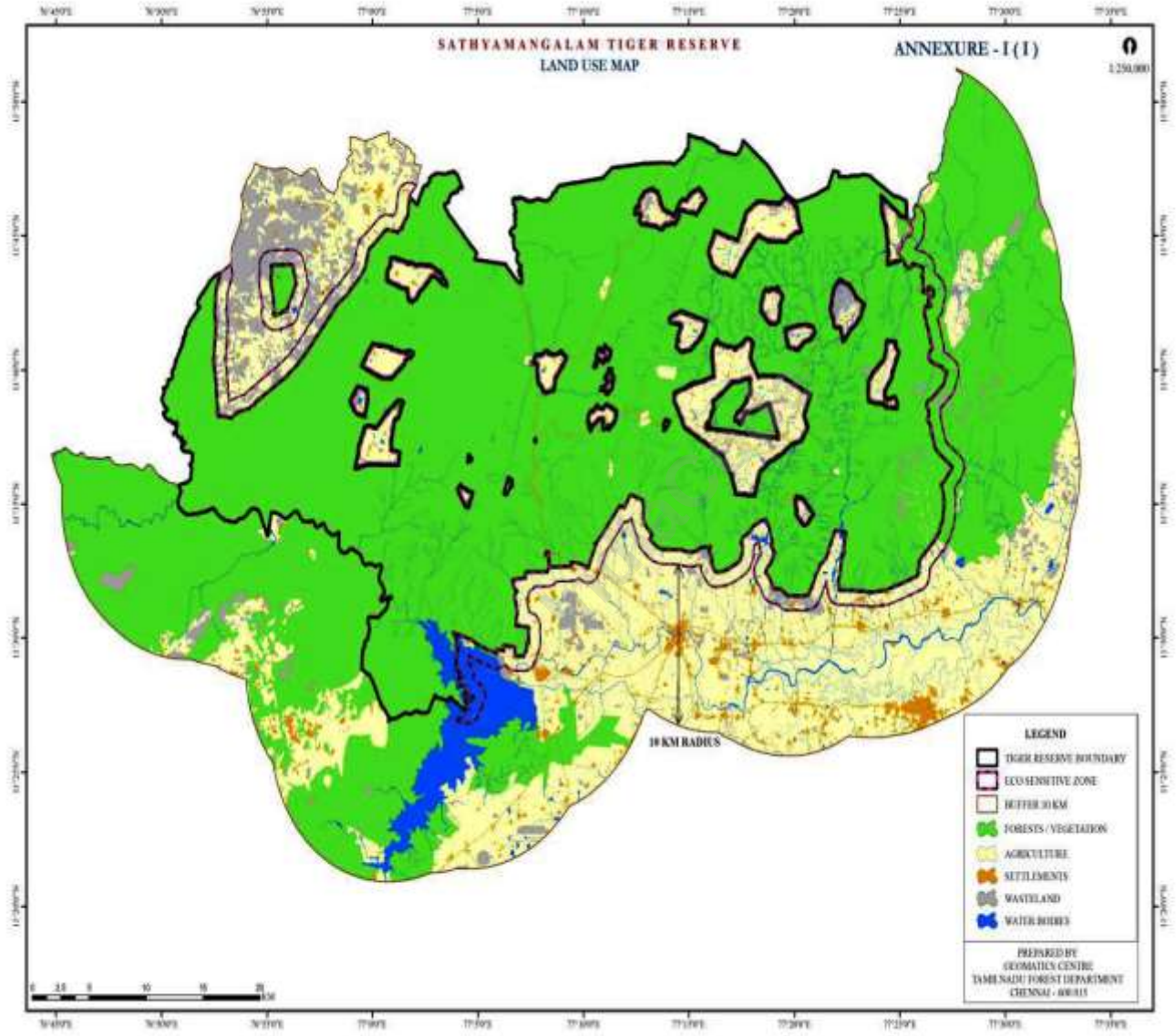
ANNEXURE- IID

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SATHYAMANGALAM TIGER RESERVE SHOWING 10 KILOMETRES DISTANCE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIE

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SATHYAMANGALAM TIGER RESERVE AND DISTANCE SHOWING 10 KILOMETRES DISTANCE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF SATHYAMANGALAM TIGER RESERVE

S. No	Identification of Prominent Points	Location / Direction of Prominent point	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	1	Ettukattu kovil	11° 43' 56.7"	76° 53' 13.9"
2	2	Kallampalayam village	11° 30' 46.6"	77° 0 '42.5"
3	3	NH 209	11° 32' 37.3"	77° 10' 13.3"
4	4	Palar River	11° 42' 22.5"	77° 26' 25.4"

4	4	Malguttipuram	11° 43' 23.0"	76° 59' 19.4"
5	5	Kanai pallam	11° 31' 36.6"	77° 20' 33.4"
6	6	Puliyancombai	11° 33' 21.0"	77° 15' 32.2"
7	7	Rajan Nagar to Bannari road	11° 32' 28.0"	77° 8 '18.3"
8	8	Baira betta near dam	11° 27' 24.7"	77° 4 '29.6"
9	9	Makkamallappan pallam	11° 40' 1.2"	76° 56' 12.0"
10	10	Bailur village boundary	11° 48' 45.7"	77° 14' 59.3"
11	11	Pattumanjai kulam	11° 39' 57.5"	77° 27' 13.5"
13	13	Palar River near Mulampatti	11° 43' 24.6"	77° 26' 6.6"
14	14	Sellapa Doddi	11° 35' 16.0"	77° 12' 29.0"
15	15	Naikkal betta	11° 45' 36"	77° 25' 35.2"
16	16	Kumbappan Kovil boundary 1	11° 43' 50.2"	76° 55' 11.5"
17	17	Bela kere	11° 43' 0.2"	76° 56' 17.1"
18	18	Kodanur pallam	11° 33' 20.8"	77° 26' 20.4"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

S. No	Identification of Prominent Points	Location / Direction of Prominent point	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	A	Ettakattu kovil	11° 43' 37.7"	76° 52' 47.5"
2	B	Palayam to Kongalli Road	11° 39' 56.1"	76° 53' 4.7"
3	C	Gettavadi to Gundanapuram road	11° 39' 35.2"	76° 54' 38.0"
4	D	Tignarai to Neydalapuram Road	11° 42' 56.6"	76° 58' 4.1"
5	E	Hiriapuram to Talavady road	11° 45' 32.7"	77° 16' 33.6"
6	F	Gumtapuram pond	11° 46' 58.6"	77° 18' 58.3"
7	G	Bhavanisagar canal	11° 28' 47.3"	77° 6 '50.1"
8	H	Pudupirkadavu temple	11° 31' 52.9"	77° 7 '39.8"
9	I	Puduvampalayam to Vadavalli junction	11° 32' 4.1"	77° 10' 15.7"
10	J	Varapalai pallam temple	11° 33' 45.4"	77° 12' 35.2"
11	K	Sathyamangalam to Puliyancombai road	11° 32' 41.9"	77° 15' 21.3"
12	L	Perumpallam	11° 32' 15.9"	77° 18' 6.4"
13	M	Vellaparai pallam	11° 31' 17.6"	77° 19' 3.0"
14	N	Mappillai kundu	11° 33' 29.5"	77° 27' 11.8"
15	O	Mulampatti Chinnapallam	11° 42' 57.7"	77° 27' 9.0"
16	P	Nelli kuttai	11° 41' 54.6"	77° 26' 47.7"
17	Q	Pattumanjkulam pallam	11° 40' 6.2"	77° 27' 47.5"

18	R	Madeshwaran koil	11° 36' 41.8"	77° 27' 57.4"
19	S	Tatanur junction	11° 41' 51.2"	76° 54' 47.2"
20	T	Marlapuram	11° 44' 29.3"	76° 56' 7.4"
21	U	Sundakadu	11° 26' 53.3"	77° 30' 34.2"
22	V	Komberimalai Foot hills	11° 26' 21.4"	77° 6 '53.6"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SATHYAMANGALAM TIGER RESERVE ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No	Village	Type of Village *	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N) (DMS)	Longitude (E) (DMS)
1	Sujjalkuttai	Revenue Village	Sathyamangalam	Erode	11° 29' 45.4"	77° 4' 32.1"
2	Karachikorai		Sathyamangalam		11° 29' 15.8"	77° 6' 38.3"
3	Kothamangalam		Sathyamangalam		11° 29' 6.3"	77° 7' 37.4"
4	Pudupeerkadavu		Sathyamangalam		11° 31' 27.4"	77° 7' 20.1"
5	Pudukuyyanur		Sathyamangalam		11° 32' 30.2"	77° 9' 29.9"
6	Puduvadavalli		Sathyamangalam		11° 32' 27.7"	77° 1' 36.2"
7	Chellappanthoddi		Sathyamangalam		11° 35' 9.5"	77° 1' 148.5"
8	Kondappanaicken palayam		Sathyamangalam		11° 31' 59.2"	77° 1' 405.4"
9	Kempanaicken palayam		Sathyamangalam		11° 32' 5.8"	77° 1' 513.2"
10	Arakkan kottai Grammam		Gobichettipalayam		11° 52' 19.5"	77° 3' 367.6"
11	Kongerpalayam		Gobichettipalayam		11° 52' 58.1"	77° 3' 300."
12	Kovundampalyam		Gobichettipalayam		11° 52' 47.2"	77° 3' 783.9"
13	Vaniputhur		Gobichettipalayam		11° 52' 52.3"	77° 3' 857.1"
14	Punjaithurai palayam		Gobichettipalayam		11° 52' 31.3"	77° 4' 025.2"
15	Kondaiyanpalayam		Gobichettipalayam		11° 53' 04.6"	77° 4' 247.4"
16	Kanakkampalaym		Gobichettipalayam		11° 54' 38.8"	77° 4' 371.3"
17	Chellipalayam		Talavady		11° 31' 37.5"	77° 1' 538.8"
18	Kamayyanpuram		Talavady		11° 41' 7.9"	76° 5' 185.4"
19	Palayam		Talavady		11° 40' 26.3"	76° 5' 181.4"
20	Kongalli		Talavady		11° 39' 43.0"	76° 5' 171.9"
21	Belathur		Talavady		11° 38' 33.4"	76° 5' 190.4"
22	Mallayan-puram		Talavady		11° 38' 55.2"	76° 5' 208.0"
23	Gettavadi		Talavady		11° 39' 24.7"	76° 5' 262.2"
24	Jeerahalli		Talavady		11° 39' 49.2"	76° 5' 324.2"
25	Tiginarai		Talavady		11° 42' 58.9"	76° 5' 487.0"
26	Maharaja puram		Talavady		11° 45' 22.0"	77° 1' 3.0"
27	Gumutta puram		Talavady		11° 46' 43.6"	77° 1' 34.0"
28	Erahanahalli		Talavady		11° 41' 43.7"	76° 5' 361.2"
29	Mariyapuram		Talavady		11° 44' 19.3"	76° 5' 361.8"

IndiaCode

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.20 17:32:52 +05'30'